23/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। मामले में अपीलांट पक्ष की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 CPC दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने के साथ लिखित बहस भी पेश की। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की सत्यप्रति मामले में अहम दस्तावेज होने से ग्रहण करने के संबंध में रेस्पोडेंट वकील को पूछा गया। उनका जवाब है परन्तु हम मामले में सारवान दस्तावेज होने से इसे (P-35 क्रमांक 13463 दि. 11.7.19) ग्रहण किया जाकर रिकॉर्ड पर लिया जाता है शेष दस्तावेज प्रमाणित नहीं होने से अग्राह्य हो। मामले में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। लिखित बहस का अवलोकन किया। इसमें प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 251 क में प्रतिवादीगण (विपक्षी) सं. 4,10,11 व 13 की सम्मन तामील बाबत कोई टिप्पणी आदेशिका पर नहीं होने की आपत्ति है, जो सही है। इनका कथन है कि ख. नं० 178 में चाहे गए रास्ते वाले क्षेत्र की सीमा के सहारे-2 है इसलिए 178 ख. नं० की सीमा जो उपस्थित है उनको भी रास्ते की अपनी चौड़ाई तक शामिल करने हेतु प्रार्थीगण (रेस्पो.) इन्हें आवेदन में पक्षकार बनावे, जो मातहत अदालत में पक्षकार नहीं थे। उन्होंने यह भी कथित किया कि ख. नं० 177/540 के सभी अभिलिखित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, जैसे रावलसिंह व गवरीकंवर। इनके अलावा कुछ खातेदार नाबालिग भी हैं जिनके कुदरती वली को आवश्यक रूप से चुना जाता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत तक पहुंचने के लिए चाहे गए रास्ते में ख. नं० 177/541 की भूमि भी आती है परन्तु इनके संबंध में प्रार्थीगण (रेस्पो०) ने अपने आवेदन में कोई मांग नहीं की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से यह कथन साबित है। यदि ख. नं० 177/541 की भूमि को शामिल नहीं किया जाता है तो रास्ते की निरंतरता (continuity) खत्म हो जाती है जिससे रास्ते का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस पर रेस्पोडेंट वकील ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर निर्णय दिया है जो सही है। प्रार्थीगण (रेस्पोडेंट) को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है और सर्वोत्तम विकल्प के रूप में उपलब्ध रास्ते को दिया है, जो सही है, अपील खारिज होने

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

23/7/19

बहस पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत अभिलेख को देखा गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखी गई। आदेशिका दि. 14/6/19 से रेस्पो. सं. 4, 10, 11 व 13 की तलबी बंद की गई साथ ही अप्रार्थी 1 से 3 व 5 से 9 का जवाब भी बंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका भी सही नहीं है। निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है क्योंकि इससे प्रार्थीगण के प्रस्तावित रास्ते का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता क्योंकि ख.नं. 177/541 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ख.नं. 178 को भी शामिल किये जाने से एक बेहतर विकल्प मिल सकता है। सभी बिंदुओं पर मौके की स्थिति, आवश्यक पक्षकार संयोजन और न्यूनतम दूरी वाला सर्वोत्तम विकल्प रास्ते के रूप में निश्चित करते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा, इसलिए मामला रिमाण्ड योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय 14.6.2019 अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहा-कलक्टर) पोकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सभी आवश्यक पक्षकारों का संयोजन, नाबालिग पक्षकारों के कुदरती वली के साथ-२ सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए सर्वोत्तम विकल्प चुनकर रास्ते के बारे में गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।
पत्रावली कॉलम मुताबिक होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(मुहर: राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर)

Scanned by CamScanner